राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2690/2024

पवन कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जिला डीडवाना– कुचामन।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जिला नागौर।
5. प्रधानाचार्य/पीईईओं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दादूवासनी, जिला डीडवाना– कुचामन।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.08.2024

आदेश की दिनांक : 30.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक

01.07.1992 से सेवा की गणना करते हुये 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 4800 एवं 5400 निर्धारित करते हुये मय शेष राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें। अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1992 से बीएसटीसी उत्तीर्ण करने की दिनांक 24.02.1998 तक काल्पनिक वेतन वृद्धियां मय शेष राशि का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मृत्तक राज्य कर्मचारी के तहत अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 30.06.1992 को हुई। अपीलार्थी नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित था। अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धूडीला की ढाणी पंचायत समिति, लाडनू, जिला नागौर पदस्थापित किया गया और विभागीय अनुमति से दिनांक 24.02.1998 को बीएसटीसी का प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण किया। अपीलार्थी को नियुक्ति तिथी दिनांक 01.07.1992 के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 01.07.2002 को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ बीएसटीसी उत्तीर्ण करने की तिथी 24.02.1998 को आधार मानकर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 28.04.2016 के द्वारा दिनांक 24.02.2016 को दिया गया। जबकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1992 है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी की नियुक्ति नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति है और राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2002 को शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुये आदेश जारी किये गये हैं कि जो अध्यापक अप्रशिक्षित नियुक्त किये गये हैं, उन्हें प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठता एवं सेवा अनुभव का लाभ देय है और इस प्रकार अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 02.06.2020 में सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि मृत्तक आश्रित कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण करने की दिनांक से मानी जावेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4249/1997 रामचंद बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4091/2004 सीमा गर्ग बनाम राजस्थान राज्य व

अन्य में चयनित वेतनमान का लाभ व वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुये लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त मामले के समान है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से उक्त लाभ नहीं दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1992 से सेवा की गणना करते हुये 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 4800 एवं 5400 निर्धारित करते हुये मय शेष राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें। अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1992 से बीएसटीसी उत्तीर्ण करने की दिनांक 24.02.1998 तक काल्पनिक वेतन वृद्धियां मय शेष राशि का भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 30.06.1992 को हुई थी। यह नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। प्रत्यर्थी विभाग की अनुमति उपरांत अपीलार्थी ने बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण दिनांक 24.02.1998 को उत्तीर्ण किया। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2003 यू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू. एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) एवं डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.04.2001 के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए हमारे विनम्र मत में उसकी सेवाओं की गणना कार्यग्रहण करने की तिथि से करते हुए अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः हम यह आदेश देना समीचीन

समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुये आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य